


21.09.2023:—आज पत्रावली प्रार्थीया अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थीया अधिवक्ता से निवेदन किया कि पक्षकार का लोक अदालत की भवाना से पंचायत मे राजीनामा हो गया। पत्रावली मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहती। पत्रावली को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर फर्द अहकाम पर नोट प्रेस किया गया। इस कारण प्रार्थीया उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतरं हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
बलमानगढ़
